भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र
नाभिकीय पुन: चक्रण बोर्ड
एकीकृतपरमाणुपुनर्चक्रणसंयंत्रसंचालन
आरएंडडब्ल्यूएम, तारापुर

दिनांक : 04/03/2023

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा सूचना : बीएआरसी/एनआरबी(टी)/आरडब्ल्यूएम/पीएम/2024/एएस-03/04

1. भारत के राष्ट्रपति की ओर से महाप्रबंधक, आर एंड डब्ल्यूएम , नाभिकीय पुन: चक्रण बोर्ड ,भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ,तारापुर द्वारा निम्नयलिखित कार्यों हेतु उन पात्र ठेकेदारों से दो भागों अर्थात भाग 'क'-योग्यता मानदंड से संबंधित कागजात तथा भाग 'ख'-वित्तीय बोली में ई-निविदाकरण के माध्यम से ऑनलाइन मद-दर निविदा आमंत्रित की जाती है , जिनका नाम सीपीडब्ल्यूडी , एमईएस, रेल्वे, राज्य पीडब्ल्यूडी, केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के सार्वजनिक उपक्रमों/केंद्रीय स्वायत्त निकायों की अनुमोदित सूची में हों अथवा ऐसे महत्वपूर्ण समान कार्य करने का पर्याप्त अनुभव एवं क्षमता रखते हों ।

i)	कार्य का नाम	पुन:र्चक्रण संयंत्र, तारापुर के सक्रिय यांत्रिक रखरखाव कार्यों और डेटा प्रबंधन में सहायता
ii)	कार्य की अवस्थिति	पुन:र्चक्रणसंयंत्र, एनआरबी, बीएआरसी, तारापुर
iii)	अनुमानित लागत	☐ 1,09,80,000/- (एककरोड़नौलाखअस्सीहजाररूपयेमात्र)
iv)	बयाना राशि(ईएमडी)	☐ 2,19,600/- (रुपएदोलाखउन्नीसहजारछहसौमात्र)

टिप्पणी:-

भाग-एखोलनेसेपहलेजमाकीजानेवालीमूलबयानाराशि, अधिमानतःअनुसूचितबैंकद्वाराजारीसावधिजमारसीद / अनुसूचितबैंककेडिमांडड्राफ्ट / बैंकर्सचेककेरूपमें, वेतनऔरलेखाअधिकारी, प्रीफ्रेबीएआरसी, तारापुरकेपक्षमेंजारीकीजाए,बोईसर, महाराष्ट्रमेंदेय।

बयाना राशि का एक भाग बैंक गारंटी के रूप में भी स्वीकार्य है । ऐसे मामलों में बयाना राशि का कम से कम 50% या रु. 20.00 लाख, जोभी कम हो , उपर्युक्त निर्धारित रूप में होनाचाहिए एवं शेष राशि , निविदा भाग 'क' के परिशिष्ट 'क' के अनुसार किसी अनुसूचित बैंक द्वारा जारीबैंक गारंटी के रूप में स्वीकारकी जा सकती है । जमा बयाना के भाग के रुप में प्रस्तुत की गई बैंक गांरटी निविदा प्रस्तुतीकरण की तिथि से छह माह की अवधि या उससे अधिक के लिए वैध होगा । कार्यनिष्पादन गांरटी (पुष्टीकरण के बाद) प्राप्त होने के बाद बोली के साथ जमा किया गया बयाना वापस किया जाएगा ।

v)	निविदा दस्तावेज का मूल्य	शून्या
vi)	निविदा प्रक्रिया शुल्क	शून्य
vii)	पूर्णता की अवधि	12 (बारह) कैलेंडरमाह
viii)	डाउनलोड हेतु दस्तावेजों के उपलब्धडता की तारीख	https://eprocure.gov.in/eprocure/appवेबसाइट पर दिनांक **13/03/2024** (10.00बजे)सेअंतिम तारीख तथा वेबसाइट पर ऑनलाइन बोली को प्रस्तुnत करने का समयतक। एनआईटी**www.barc.gov.in** वेबसाइट पर केवल देखने के लिए भी उपलब्ध है।
ix)	बोली-पूर्व बैठक की तारीख एवं स्थान	बोलीकर्ताओं से अनुरोध है कि दिनांक 25/03/2024 तक ईमेल के माध्यरम से बोली-पूर्व अपनी पूछताछ भेजें। बोली-पूर्व की बैठक दिनांक26/03/2024(14:00 बजे) PREFRE-2 सम्मेलनकक्षमेंऑफ़लाइनआयोजित की जाएगी। बोलीपूर्व स्पष्टीकरणदिनांक 28/03/2024तक_https://eprocure.gov.in/eprocure/appवेब साइट पर अपलोड किए जाएंगे।
x)	निविदाओं के ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण की अवधि	**से:** 29/03/2024 **(10:00 बजे) से:** 09/04/2024 **(15:00 बजे)**
xi)	भाग 'क' को ऑनलाइन खोलने की तारीख एवं समय	**10/04/2024**(15:30 **बजे)**
Xii)	योग्य बोलीकर्ताओंके भाग 'ख' को खोलने की तारीख	https://eprocure.gov.in/eprocure/appपरबाद की तारीख कोअधिसूचितकी जाएगी।

<u>सूचना, पात्रता मानदंड, शर्तें एवं अनुदेश</u>

सूचना :

2. निविदा दस्तावेज दो भागों अर्थात भाग 'क' (योग्यता मानदंड से संबंधित कागजात) एवं भाग 'ख' (वित्तीूय बोली) में तैयार किया गया है। भाग 'क' में योग्यता मानदंड से संबधित कागजात है यथा : खंड I-ई निविदा आमंत्रण सूचना (अंग्रेजी और हिंदी भाषा में), खंड II- करार का प्रपत्र एवं बोलीदाताओं के मार्गदर्शन हेतु सामान्य नियम एवं निदेश, ज्ञापन, खंड III- ठेके की सामान्य शर्तें , अतिरिक्त शर्तें, खंड IV- निविदाकारों को विशेष अनुदेश , खंड V-तकनीकी विनिर्देश, खंड VI- टेंडर ड्राइंग्स की सूची , खंड VII- अनुसूची 'ख' क प्रोफार्मा। भाग 'ख' (वित्तीाय बोली)में अनुसूची 'क'-प्रमात्राओं एवं दरों की अनुसूची है।

बोलीकर्ताओं के पास क्लाकसIII डिजिटल हस्तावक्षर प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए। निविदा में भाग लेने के लिए, भावी बोलीकर्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने यूज़र आईडी/पासवर्ड एवं क्ला स III डिजिटल हस्ता,क्षर प्रमाणपत्र के साथ वेबसाइट **https://eprocure.gov.in/eprocure/app** के होमपेज में लॉगइन करें।

भावी बोलीकर्ताओं द्वाराएक्सेपल फार्मेटमूल्य/ बोली को डाउनलोड करके एक्सेल दस्तागवेज को भरकर और उसका नाम बदले बगैर अपलोड किया जाना आवश्यक है। कृपया निविदा के प्रस्तुकतीकरण हेतु हेल्पं मैन्युाअल का संदर्भ लें/एनआईटी के अनुसार हेल्पम डेस्क से संपर्क करें।

वर्णित कार्यों हेतु निविदा ड्राइंग (अनुभाग - VI) के एक सेट को महाप्रबंधक, आर एंड डब्ल्यूएम , नाभिकीय पुन:चक्रण बोर्ड, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, तारापुर , डाकघर : घिवली, जिला: पालघर, महाराष्ट्रन -401502 में निविदा के प्रस्तुतीकरण के अंतिम पहले के पहले एक कार्य दिवस तक केवल निविदाकारों को ही निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराया जाएगा तथा बोलीकर्ता , यदि अपेक्षित हो , ड्राइंगों का अध्ययन करने के लिए व्यक्तिगत रुप से आ सकते है एवं यह वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं होगा।

बीएआरसी परिसर, जो एक प्रतिबंधित क्षेत्र है , में प्रवेश के लिए भावी बोलीकर्ताया उसका प्राधिकृत प्रतिनिधिपासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड जैसे फोटो पहचान पत्र अपने साथ लाएगा। बोलीकर्ता को फोन या ईमेल पर इस संबंध में पूर्व सूचना देनी होगी ताकि एनआरबी , बीएआरसी, तारापुर में प्रवेश की व्यवस्था की जा सके।

सफ़लता प्राप्तक बोलीकर्ता को कार्य दिए जाने के बाद उपर्युक्त सभी दस्ताटवेज अनुबंध के भाग होंगे।

आरंभिक पात्रता मानदंड:

3. बोलीकर्ता के पास निम्नीलिखित होना चाहिए :

(ए (ठेकेदारों के समुचित वर्ग, यदि कोई है, में पंजीयन।

(बी (न्यूनतमरु☐ **43,92,000** -/का किसी अनुसूचित बैंक काबैंकऋणशोधनक्षमताप्रमाणपत्र तथानिविदा खुलने की तारीख से पूर्व एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।

)सी (दिनांक **31 मार्च**,2023 को समाप्त पिछले **3** लगातार वित्तीय वर्षों के दौरान कम से कम ☐ **54,90,000/-**का औसत वार्षिक वित्तीय टर्नोवर होना चाहिए। इसे किसी पंजीकृत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा विधिवत लेखा परीक्षित होना चाहिए चार्टर्ड) एकाउंटेंट से प्रमाण पत्र की स्कैन-

जिस वर्ष में कोई टर्नओवर नहीं किया गया है (प्रति अपलोड किया जाए, उसे भी औसत निकालने के लिए गिना जाएगा ।

(डी (दिनांक31मार्च, 2023को समाप्त पिछले पांच वर्षों के दौरान दो वर्षों में कोई हानि नहींहोनीचाहिए ।

(ई (गत वर्षो के दौरान इस तरह का कार्य किया हो । 7

(एफ) कार्य के उचित और समय पर निष्पादन के लिए आवश्यक सूची के अनुसार बोलीकर्ताके पास निर्माण उपकरण होना चाहिए। अन्यथा , उसे यह प्रमाणित करना चाहिए कि वह किराए पर लेने आदि द्वारा उपकरण का प्रबंधन करने में सक्षम होगा और उन फर्मों की सूची प्रस्तुत करेगा जिनसे वह किराए पर लेने का प्रस्ताव करता है।

(जी) ठेके के उचित निष्पादन के लिए बोलीकर्ताके पास पर्याप्त संख्या में तकनीकी और प्रशासनिक कर्मचारी होने चाहिए।

(एच) वैध जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र- की प्रति ।

(आई (स्थायी खाता सं पैन))कार्ड की प्रति ।

)जे। .पी एफ पंजीकरण सं (

(के) विभिन्न क्लायंटों हेतु किए गये कार्य के मूल्य के सबूत हेतु टीडीएस प्रमाण पत्र-

(एल) बोलीकर्ता एक घोषणा प्रस्तुत करेगा कि उसे किसी भी सरकार विभाग/ सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यमद्वारा पिछले 7 वर्षों में निविदा से विवर्जित नहीं किया गया है। । यदि बोलीकर्ता को विवर्जित हो तो, तो उसे विवर्जित होने का विवरण घोषित करना होगा और विवर्जित होने संबंधी आदेश की प्रति प्रस्तुत करनी होगी । मामले के गुण दोषों पर- विचार विमर्श करने के उपरांत-सक्षम प्राधिकारी बोलीकर्ता की पात्रता संबंधी निर्णय करेगा।

(एम) जिस माह में निविदा के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाता है , उसके पूर्व माह के अंतिम दिन को समाप्त होने वाले सात)07वर्षो के दौरान सभी (परिप्रेक्ष्य में(कार्य के क्लाकइंट द्वारा मुख्यई ठेकेदार के रूप में निष्पालदन के प्रमाणपत्र के आधार पर)समान कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किये गये जाने का अनुभव । निविदा प्रस्तुतिकरण के अंतिम तारीख के पूर्व दिवस तक पूरा किये गये कार्यों पर भी विचार किया जाएगा । संयुक्त उद्यम में कार्य स्वीकार्य नहीं हैं ।

(एन) बोलीलगानेवालेकोसार्वजनिकखरीद (मेकइनइंडियाकोप्राथमिकता), आदेश-2017, आदेशसंख्या " पी-45021/2/2017-बी.ई. - II, संशोधन, दिनांक16/09/2020 औरसमय-समयपरसंशोधित" मेंपरिभाषित "श्रेणी- I स्थानीयआपूर्तिकर्ता" होनाचाहिए।

4. बोलीकर्ता द्वारा संतोषजनक रुप से पूरा (कार्यो के क्लाइंटों द्वारा कार्यनिष्पादन के प्रमाणन पर आधारित) कार्य किया जाना चाहिए ।

(i) 3 (तीन (समान कार्य, प्रत्येइक कार्य का कीमत अनुमानित लागतके□ 43,92,000/- से कम नहीं होनी चाहिए,अथवा

(ii) 2 (दो(समान कार्य , प्रत्येइक कार्य काकीमत अनुमानित लागतके□ 65,88,000/-से कम नहीं होनी चाहिए, अथवा

(iii) 1 (एक(समान कार्य, जिसकीकीमत अनुमानित लागतके₹ 87,84,000/- से कम नहीं होनी चाहिए ।

निविदाजमाकरनेकीअंतिमतिथिकेपिछलेदिनकोसमाप्तहोनेवालेपिछले7 (सात) वर्षोंकेदौरानऔरयदिकेंद्रसरकारकेविभाग / राज्यसरकारकेविभाग / केंद्रयाराज्यसरकारकेसार्वजनिकक्षेत्रकेउपक्रम / केंद्रीयस्वायत्तशासीमेंपात्रसमानकार्यनहींकिएगएहैंइसकेलिएबोलीलगानेवालेकोनिकाय, टीडीएसप्रमाणपत्रप्रस्तुतकरनाहोगा।

5. अर्हता के उद्देश्य के लिए "कार्यकी कीमत" का अर्थ उन सामग्रियों ,जिनकी मुफ्त में आपूर्ति की गयी है , को छोड़कर सरकार/क्लायंटों दवारा आपूर्ति की गयी सामग्रियों की कीमत सहित पूरा किये गये कार्य का समग्र मूल्य होगा । इस क्लाज के उद्देश्य के लिएइसीप्रकार के कार्य का तात्पर्य **"रसायन या अन्य संयंत्र/उपयोगिताओं के रखरखाव और डेटा प्रविष्टि के लिए कार्य** "से है । समान कार्य भारत में निष्पादित किए होने चाहिए । संयुक्त् उद्यम कार्य की कीमत स्वीकार्य नही हैं ।

6. निष्पादित कार्य के मूल्य को **7%** प्रति वर्ष की सामान्य दर पर कार्य की वास्तविक मूल्य में वृद्धि करते हुए वर्तमान लागत स्तर तक लाया जाएगा जिसका परिकलन पूर्णता की तारीख से निविदा को प्रस्तुकत करने की आखिरी तारीख तक किया जाएगा ।

7. बोलीकर्ताकी बोली लगाने की क्षमता कार्य के अनुमानित कीमत के बराबर अथवा उससे अधिक होना चाहिए । बोली लगाने की क्षमता को निम्नलिखित सूत्र द्वारा तय कियाजाएगा:

बोली लगाने की क्षमता= (A X N X 2) - B

जहाँ,

A = पूरा किये गये तथा जारी कार्य को ध्यान में रखते हुए पिछले 5 वर्षों के दौरान किसी एक वर्ष में किये गये कार्य में अधिकतम टर्नओवर । **पूर्ण किए गए कार्य के मूल्य को7%प्रतिवर्ष के साधारण दर से बढ़ा करके वर्तमान लागत स्तर तक लाया जाएगा ।**

N = कार्य, जिसके लिए बोलियांआमंत्रित की गई है, की पूर्णता हेतु निर्धारित किये गये वर्षों की संख्या ।

B = कार्य, जिसके लिए बोलियांआमंत्रित की की गई है , की पूर्णता की अवधि के दौरान चल रहे कार्यों को पूरा किया जाना तथा वर्तमान प्रतिबद्धताएं ।

8. यद्यपि कोई बोलीकर्ता उपरोक्त आवश्यकता को पूरा कर सकता है, वह अयोग्य माना जाएगा यदि उसने

(i) भ्रमात्मकअथवाझूठाअभ्यावेदनकियाहैअथवायोग्यतामानदंडकागजातमेंअपेक्षितफार्मों, कथनोंतथासंलग्नों□ मेंदीगईसूचनाकोजानबूझकरछिपायाहै।

(ii) वित्तीयअसफलता/कमजोरीइत्यादिअथवाठेकेकोठीकसेनपूराकरने, कार्यकोछोड़ देनेजैसेखराबकार्यनिष्पादनकारिकार्डरखताहै।

(iii) बोलीकर्ता अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी भी प्रकार के कदाचार या कपटपूर्ण गतिविधियों में शामिल है।

(iv) बोलीकर्ता के खिलाफ यदि पऊवि सुरक्षा से कोई प्रतिकूल इनपुट प्राप्त होता है।

9. बोलीकर्ता भारत में एक पंजीकृत फर्म /कंपनी होनी चाहिए। संयुक्त उद्यम तथा /अथवा कंसोर्टियम स्वीकार्य नहीं है।

शर्तें :

10. निविदा के भाग 'क' के खुलने के पश्चात ,सक्षम प्राधिकारी, एक निरीक्षण दल गठित करेगें , जो निम्नलिखित आधार पर आधारित निविदाकारों के चयनित चालू कार्य क्षेत्रों/ पूर्ण किए गए कार्यों का निरीक्षण किया जाएगा ताकि क्षमता का मूल्यांकन किया जा सकें :-

ए) वित्तीय क्षमता एवं पिछले 5 वर्षों के दौरान उनका टर्नओवर।
बी) संबंधित कार्य के संदर्भ में कंपनी की तकनीकी क्षमताएं।
सी) पिछले 7 वर्षों के दौरान निविदाकार द्वारा निष्पादित कार्यों का स्वरूप।
डी) कंपनी की संगठनात्मक संरचना ।
ई) कंपनी द्वारा संबंधित कार्य करने हेतु अपेक्षित आवश्यक संसाधन।
एफ) समय एवं गुणवत्ता की सजगता।
जी) असंगत दावे एवं विवाद करने की कंपनी की प्रवृत्ति ।
एच) क्षेत्र नियोजन क्षमता।
आई) कंपनी की कार्य को बैक टू बैक/उप किरायेदारी पर सौंपने की प्रवृत्ति।
जे) किसी सरकारी विभाग /सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा बोलीकर्ता को विवर्जित किए जाने का स्वीरूप(यदि कोई हो तो)

अर्हता मानदंड से संबंधित कागजातों का मूल्यांकन : इसे एनआईटी में संदर्भित योग्यता मानदंड पर आधारित वित्तीय बोली को खोलने से पहले केंद्रीय लोक निर्माण विभाग नियम पुस्तक 2014 के परिशिष्टा 20 के अनुलग्न क -1के अनुसार किया जाएगा।

बोलियों का वित्तीय मूल्यांकन :वित्तीय बोली को खोलने की तिथि को उन बोलीकर्ताओं को सूचित किया जाएगा जिनके भाग -क (अर्हता मानदंड से संबंधित कागजात) को विभाग द्वारा संतोषजनक पाया जाता है तथा केवल ऐसे बोलीकर्ताओं के भाग -ख (वित्तीय बोली) को खोला जाएगा ।

इंगित कार्य की अनुमानित लागत केवल लगभग है और ठेकेदार दरों की विस्तार से गणना करेगा।

11. आवेदककोसार्वजनिकनोटरीद्वारासत्यापित 100 रुपयेकेस्टांपपेपरपरनिम्नलिखितप्रारूपमेंबोलीकेसाथनिविदाकेभाग'बी' कोखोलनेसेपहलेमूलशपथपत्रभीप्रस्तुतकरनाहोगा:

“मैं/हम वचन देता हूँ/देते हैं तथा यह निश्चित करता हूँ /करते हैं कि योग्य समान कार्य बैक टू बैक आधार पर किसी अन्य ठेकेदार द्वारा नहीं करवाया गया है। आगे , यदि ऐसा उल्लंघन विभाग के ध्यान में आता है , तब मैं/हम हमेशा-हमेशा के लिए भविष्यगमें एनआरबी,भापअकें(बीएआरसी) में ठेके की निविदा करने के लिए विवर्जित हो जाऊंगा/जाएंगे ”

साथमें

"मैंने, भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बोलीकर्ता से प्रापण करने पर प्रतिबंध और ऐसे देशों के ठेकेदारों को उप-ठेके पर देने से संबंधी अनुलग्नलक - I के खंड को पढ़ा है ; मैं प्रमाणित करता हूं कि यह बोलीकर्ता ऐसे देश से नहीं है या, यदि ऐसे देश से है तो सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत किया गया है और ऐसे देशों के किसी ठेकेदार को किसी कार्य का उप-ठेका तब तक नहीं देगा जब तक कि ऐसा ठेकेदार सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत न हो। मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि यह बोलीकर्ता इस संबंध में सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है और विचार किए जाने के योग्य है। (जहां लागू हो , सक्षम प्राधिकारी द्वारा वैध पंजीकरण का साक्ष्य संलग्न किया जाएगा।)"

12. भाग "क" के खुलने के बाद निविदा में किसी प्रकार के संशोधन करने की अनुमति नहीं होगी ।

13. किसी शर्त या सशर्त छूट वाली निविदाओं को अस्वीकृत कर दिया जाएगा । फिर भी जिन निविदाओं में बिना किसी शर्त के छूट दी गई हो उन्हें स्वीकार किया जाएगा ।

14. यदि आवेदक द्वारा दी गई कोई भी सूचना बाद में गलत पाई जाती है तो उन्हें भापअकें में भविष्य में हमेशा के लिए निविदाकरण/कोई भी कार्य करने से रोक दिया जाएगा । यदि कार्य शुरू करने से पहले भी ऐसे उल्लंघन की सूचना, विभाग को प्राप्त होती है तो प्रभारी अभियंता , ईएमडी एवं निष्पादन गारंटी को पूर्ण रूप से जब्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे ।

15. कार्य को करने के लिए समय की गणना कार्य शुरू करने के लिए कार्य आदेश जारी किए जाने के 15वें या कार्य शुरु करने की वास्तविक तिथि , जो भी पहले हो, के अनुसार की जाएगी ।

16. निविदा ऑनलाइन प्रस्तुात करने की अंतिम तारीख से **180 (एकसौअस्सी)** दिनों के लिए वैध रखी जाएगी। यदि कोई बोलीकर्ता अपनी निविदा को वैधता अवधि के भीतर और कार्य प्रदान करने से पहले , जो भी पहले हो, वापस ले लेता है या निविदा के नियमों और शर्तों में कोई संशोधन करता है जो विभाग को स्वीकार्य नहीं है , तो सरकार किसी अन्य अधिकार या उपाय पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के , बयाना राशि का 50% (पचास प्रतिशत) पूरी तरह से जब्त करने के लिए स्वतंत्र रहेगी । इसके अलावा , बोलीकर्ता को कार्य की पुन: निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

17. यदि निविदा खुलने की अंतिम तारीख को छुट्टी घोषित की जाती है तो उक्त तारीख को तदनुसार आगे के कार्य दिवस तक स्थगित माना जाएगा ।

18. भावी बोलीकर्ता को 1(iv) में वर्णित ईएमडी दस्तावेजों जैसे एफडीआर/डीडी/बीसी/बीजी की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगीतथाइनकी मूल प्रति(यां)भाग "ए" के खोलने के पहले"महाप्रबंधक, आर एंड डब्ल्यूएम, नाभिकीय पुन:चक्रण बोर्ड , भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र , तारापुर, डाकघर : घिवली , जिला: पालघर, महाराष्ट्रन -401502" के कार्यालय में प्रस्तुतत करनी होगी । ऐसा न करने पर निविदा अस्वीलकृत होगी।

19. बिल के समग्र रकम की 2.5% की दर से प्रतिभूति जमा की वसूली, ठेकेदार के प्रत्येक चालू बिल तथा अंतिम बिल से तब तक की जाएगी जब तक कि वसूली गई कुल राशि कार्य केनिविदाकृत मूल्य के 2.5% के प्रतिभूति जमा के बराबर न हो जाए ।

सुरक्षा जमा किसी अनुसूचित बैंक का डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रुप में भी स्वीकार किया जाएगा । किसी अनुसूचित बैंक के फिक्सड डिपाजिट रसीद को भी स्वीकार किया जाएगा ।

20. इसके अतिरिक्त ठेकेदार को कार्य आदेश जारी किए जाने की तारीख से 15 दिन के अंदर अथवा कार्य प्रारंभ करने से पहले , जो भी पहले हो , जमा किये जाने के लिए किसी अनुसूचित बैंक के डिमांड ड्राफ्ट/फिक्सड डिपाजिट रसीद/ बैंक गांरटी/बैकर्स चेक के रुप में कार्य निष्पाैदन गांरटी के रुप में ठेका के निविदा मूल्य के 5% की समतुल्य राशि को निष्पादन गारंटी के रूप में जमा करना होगा ।

21. यदि सफल बोलीकर्ता, कार्य आदेश जारी करने की तारीख से अथवा कार्य प्रारंभ करने की तारीख के पूर्व , जो भी पहले हो, के 15 दिनों(तथा अनुसूची "एफ" में उल्लोख की गई अनुग्रह अवधि की शर्ते पर के भीतर निर्धारित निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं , तो विभाग [भापअकें(बीएआरसी)] किसी अन्य अधिकार या उपाय पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के , उक्त बयाना राशि को बिना किसी सूचना दिए पूर्ण रूप से जब्त कर सकता है ।

22. निविदा की स्वीकृति विभाग के पास सुरक्षित है जो सबसे कम मूल्य की निविदा को स्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं है एवं इसके पास किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार है । वे सभी निविदाएं , जिनमें निर्धारित शर्तें पूरी न की गयी हों अथवा जो किसी भी दृष्टि से अपूर्ण होंगी उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

23. निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार की सिफ़ारिश करना सख्त मना है तथा जो ठेकेदार सिफ़ारिश करेगा उसकी निविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी ।

24. विभाग समस्त निविदा अथवा निविदा के किसी भाग को स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं निविदाकार अपने द्वारा दी गयी दर पर कार्य करने के लिए बाध्य होगा ।

25. i) कोट किए गये दर में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) शामिल होगा तथा ठेकेदार द्वारा देय होगा एवं एनआरबी, बीएआरसी इस संबंध में किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगी । ठेकेदार को माल एवं सेवाकर (जीएसटी) के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए तथा कार्य पर वर्तमान आदेश के अनुसार लागू जीएसटीठेकेदार द्वारा संबंधित कर प्राधिकारियों को भुगतान किया जाएगा ।

ii) यथा लागू श्रम कल्याण उपकर ठेकेदार को भुगतान किये गये प्रत्येक बिल से वसूल की जाएगी।

iii) आयकर, जीएसटी टीडीएस एवं अन्य कोई कर जैसा लागू हो, ठेकेदार को भुगतान किये गये प्रत्येक बिल से काटा जाएगा।

iv) सभी कर्मियों को लागू न्यूनतम मजदूरी देनी होगी।

v)ठेकेदार को ईपीएफ एवं ईएसआईसी के अधीन पंजीकृत होना चाहिए। ठेकेदार को ठेका कर्मियों के ईपीएफ एवं ईएसआईसी को संबंधित एजेंसी को जमा करना होगा ।इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि ईपीएफ एवं ईएसआईसी को वास्तविक रुप से एवं असली रुप में ठेकेदार द्वारा अदा किया गया है, ईपीएफ एवं ईएसआईसी (दोनों का नियोक्ता का अंशदान) विभाग द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी। बोलीकर्ता अपनी दरों में ईपीएफ एवं ईएसआईसी पर विचार नहीं करेगा ।

26. **जिन सफल बोलीकर्ता की निविदा स्वीसकार की जातीहै उन्हेंत बीएआरसी के अंदर काम करने वाले अपनेसभीकार्मिकोंजैसे: इंजीनियरों, पर्यवेक्षकों एवं मजदूरों का अपने खर्चे पर पुलिस विभाग द्वारा जारी पुलिस सत्याएपन प्रमाणपत्र(पीवीसी) प्राप्त् करना आवश्यअक होगा।**

सुरक्षा जांच के बाद यदि ठेकेदार/कंपनी/फर्म/प्रोपराइटर और/अथवा उसके ठेके के कार्मिकों के विरुद्ध कोई प्रतिकूल चार्टर तथा पूर्ववृत्तर की अभ्युवक्ति/अधिसूचना प्राप्तअ होती है तो भापअ केंद्र , बिना कोई कारण बताए/ 'कारण बताओ नोटिस' जारी किए बिना ठेके को तुरंत समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ऐसी परिस्थिति में ठेकेदार के पास यह अधिकार नहीं होगा कि भापअ केंद्र द्वारा की गई उक्तस कार्रवाई के परिणामस्वथरूप यदि उसका कोई नुकसान/देयता हो तो उसकी भरपाई के लिए वह दावा करे। पऊवि/भापअ केंद्र द्वारा समय-समय पर जारी सुरक्षा अनुदेश का पालन ठेकेदार द्वारा नहीं करने पर भापअ केंद्र के पास यह भी अधिकार होगा कि वह सरकार के पास जमा निष्पालदन गारंटी और/अथवा प्रतिभूति जमा आंशिक अथवा पूर्ण रूप से जब्तिकर ले।

अनुदेश :

27. बोलीकर्ता को **https://eprocure.gov.in/eprocure/app**के साथ पंजीकृत होना चाहिए। जो ठेकेदार ऊपर उल्लेखित वेबसाइट पर पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें पंजीकृत होना जरूरी है। यदि आवश्यक हो, वेबसाइट पर उपलब्ध ब्योरे के अनुसार, उन्हें ऑनलाइन बोली प्रक्रिया के लिए प्रशिक्षण दिया जा सकता है ।

28. उपर्युक्त समय तथा तारीख तक निविदाएं ऑनलाइन प्राप्त हो जानी चाहिए। उपर्युक्तं समय एवं तारीख पर भाग 'क' खोली जाएगी। भाग 'क' खोलने के पश्चापत् मूल्यां कन के लिए ठेकेदार के जारी /पूर्ण किए गए कार्य क्षेत्र एवं कार्यालय का निरीक्षण किया जा सकता है। योग्याता संबंधी दस्तानवेजों का मूल्यांबकन किया जाएगा और तदनुसार बोलीकर्ताओं को योग्य घोषित किया जाएगा। योग्यता प्राप्त बोलियों को नियम को अधिसूचित तारीख एवं समय पर खोला जाएगा। भाग 'ख' (वित्तीाय बोली) खुलने की तारीख की सूचना सभी योग्य बोलीकर्ताओं को ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी ।

29. निविदा खुलने के बाद, बोलीकर्ता लॉग इन करके बोलियों की स्थिति को देख सकते हैं।

30. बोलीकर्ता प्रत्येक मद की दर उद्धृत करना सुनिश्चित करें। वित्तीय बोली निविदा दस्तावेज के साथ **BoQ_XXXX.xls** के रूप में https://eprocure.gov.in/eprocure/appपर उपलब्धश करायी गई है। बोलीकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे **BoQ_XXXX.xls** को यथावत डाउनलोड करें और अनुमति दिए गए कॉलम(अनप्रोटेक्टेड), जो अलग रंग में दिखाया देगा में अपनी दरों को उद्धृत करें तथा अन्या विवरण (जैसे बोलीकर्ता का नाम) भरें। जैसे ही उक्तर विवरण भर दिया जाएगाउसके पश्चात बोलीकर्ता को उसे सेव(**save**) करके फाइल का नाम परिवर्तन किए बिना उसे ऑन लाइन प्रस्तुत करना होगा। बोलीकर्ता डाउनलोड की गई मूल्यक बाली टेम्लेपरिट में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या संशोधन नहीं करेंगे। यदि बोलीकर्ता द्वारा कोई सेल खाली छोड़ा जाता है तथा कोई दर उद्धृत नहीं किए जाते हैं तो एसे मद की दर को "0" (शून्य)समाना जाएगा।

31. मूल प्रति से स्कैन किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची जिन्हें बोलीकर्ता द्वारा बोली प्रस्तुतीकरण की अवधि के भीतर अपलोड करना है:-

(i) सीएद्वाराप्रमाणितवित्तीयटर्नओवर (अधिमानतःयूडीआईएनकेसाथ)।र।

(ii) मार्च 2023 कोसमाप्तहोनेवालेपिछले 5 वित्तीयवर्षोंकेलिएलाभऔरहानिविवरण - सीएद्वाराप्रमाणित (अधिमानतःयूडीआईएनकेसाथ)।

(iii)नवीनतम बैंक ऋण शोधन क्षमता प्रमाणपत्र।

(iv) निर्माण संयंत्र एवं मशीनरी की सूची।

(v) कार्य निष्पातदन हेतु आवश्यक तकनीकी कर्मचारियों की सूची।

(vi)पैन (स्थायी खाता क्र.) कार्ड

(vii) ईएमडी दस्तावेजों जैसे एफडीआर/डीडी/बीसी की प्रति।

viii)पिछले सात वर्षों में पूर्ण किए गए समान कार्यों की सूची जिसमें i) एजेंसी जिसके लिए निष्पादित किया गया है, ii) कार्य का मूल्य, iii) पूरा होने का नियत और वास्तविक समय, iv) क्लाइंट से योग्यप प्रकार के समान कार्यों का कार्य निष्पादन प्रमाण पत्र।

ix) हस्त,गत कार्यों की सूची में निम्नहलिखित का उल्लेवख करें) :एजेंसी ii) कार्य का मूल्य, iii) पूरा होने का नियत समय / वर्तमान स्थिति।

x) प्रमाणपत्र:

क .पंजीयनप्रमाणपत्र, यदिकोईहोतो।

ख .कार्यअनुभवप्रमाणपत्र/निष्पादनप्रमाण-पत्र

ग .जीएसटीपंजीयनप्रमाणपत्र।

घ .पीएफपंजीकरणप्रमाण-पत्र।

(xi) यह वचन (अंडरटेकिंग) कि इसी प्रकार का कार्य(यों) को बैक टू बैक आधार पर दूसरे ठेकेदारके माध्यम से निष्पादित नहीं कराया गया है।

(xii) भाग क: खंड II तथा ठेके की सामान्य शर्तों के खंड (क्लाज) 11 के अनुसार घोषणा

(xiii)वैध विद्युत लाइसेंस, यदि लागू हो।

(xiv) घोषणा कि 3(I) में निर्दिष्टानुसार बोलीकर्ता कोनिविदा करने से विवर्जित नहीं किया गया है।

(xv) कंपनी के पत्रशीर्ष में अनुलग्न क -II में संलग्न प्रारूप में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206एबी के अनुसार वचनबद्धता।

(xvi)लोक प्रापण (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) के आशयानुसार 'श्रेणी-I , स्थानीय आपूर्तिकर्ता के संबंध में कार्यालय के शीर्ष पत्र पर अनुलग्नेक –III के अनुसार वचनबद्धता।

टिप्पाणी : तकनीकी मूल्यां कन के दौरान यदि कोई दस्तानवेज नहीं पाया जाता है तो निरीक्षण समिति उसे प्रस्तु त करने के लिए कह सकती है।

टिप्पणी:

1. पंजीकृत बोलीकर्ता ही निविदाएं प्रस्तुत/अपलोड कर सकते हैं।
2. इच्छुक एजेंसियां पंजीकरण हेतु **https://eprocure.gov.in/eprocure/app**वेबसाइट देख सकती हैं।
3. किसी प्रकार की सहायता/स्पष्टीकरण के लिए (02525) 65224/65120, फैक्स244200
4. ई -निविदाकरण में पंजीयन एवं सहभागिता हेतु सहायता के लिए निम्न6 व्यक्तियों से संपर्क करें

क श्री .भूषण कुमार और श्री मयूर जाधव दूरभाष नं .022-25487480

ख .किसी भी तकनीकी संबंधित प्रश्न के लिए कृपया 24x7निम्न लिखित हेल्प डेस्क नंबर पर कॉल करें :

1) 0120-002 4001

2) 0120-005 4001

3) 0120-787 6277

5.. स्थल भ्रमण-:मेल आईडी-स्पष्टीकरण हेतु अनुरोध भेजने हेतु ई /
सेवा में **zabhi@barc.gov.in**

यदि एनआईटी के अंग्रेजी एवं हिंदी पाठ के बीच कोई अंतर हो तो अंग्रेजी पाठ को सही माना जाएगा।

--Sd--

उप. मुख्य कार्यकारी
नाभिकीय पुन:चक्रण बोर्ड
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, तारापुर
(भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से)

I. Any bidder from a country which shares a land border with India will be eligible to bid in this tender only if the bidder is registered with the Competent Authority.

II. “Bidder” (including the term ‘tenderer’, ‘consultant, or ‘service provider’ in certain contexts) means any person or firm or company, including any member of a consortium or joint venture (that is an association of several persons, or firms or companies), every artificial juridical person not falling in any of the descriptions of bidders stated hereinbefore, including any agency branch or office controlled by such person, participating in a procurement process.

III. “Bidder from a country which shares a land border with India” for the purpose of this order means:-

a. An entity incorporated, established or registered in such a country; or
b. A subsidiary of an entity incorporated, established or registered in such a country; or
c. An entity substantially controlled through entities incorporated, established or registered in such a country; or
d. An entity whose beneficial owner is situated in such a country; or
e. An Indian (or other) agent of such an entity; or
f. A natural person who is a citizen of such a country; or
g. A consortium or joint venture where any member of the consortium or joint venture falls under any of the above.

IV. The beneficial owner for the purpose of (iii) above will be as under:

1. In case of a company or Limited Liability Partnership, the beneficial owner is the natural person(s), who, whether acting alone or together, or through one or more juridical person, has a controlling ownership interest or who exercises control through other means.
Explanation:
a. “Controlling ownership interest” means ownership of or entitlement to more than twenty-five per cent. of shares or capital or profits of the company.
b. “Control” shall include the right to appoint majority of the directors or to control the management or policy decisions including by virtue of their shareholding or management rights or shareholders agreements or voting agreements

2. In case of a partnership firm, the beneficial owner is the natural person(s) who, whether acting alone or together, or through one or more juridical person, has ownership of entitlement to more than fifteen percent of capital or profits of the partnership

3. In case of an unincorporated association or body of individuals, the beneficial owner is the natural person(s), who, whether acting alone or together, or through one or more juridical person, has ownership of or entitlement to more than fifteen percent of the property or capital or profits of such association or body of individuals

4. Where no natural person is identified under (1) or (2) or (3) above, the beneficial owner is the relevant natural person who holds the position of senior managing official

5. In case of trust, the identification of beneficial owner(s) shall include identification of the author of the trust, the trustee, the beneficiaries with fifteen percent or more interest in the trust and any other natural person exercising ultimate effective control over the trust through a chain of control or ownership.

V. An Agent is a person employed to do any act for another, or to represent another in dealings with third person.

VI. The successful bidder shall not be allowed to sub-contract works to any contractor from a country which shares a land border with India unless such contractor is registered with the Competent Authority.

अनुलग्नक -II

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN
Undertaking pursuant to Section 206 AB of the Income Tax Act 1961
Declaration confirming filling of Income Tax Return from immediate two preceding years.

I, _____ [Name], in the capacity of Individual/ Proprietor/ Partner/ Director/ Authorized signatory of ---------- [Entity Name] with PAN _____, do hereby make the following declaration as required under the relevant provision of the Income Act ,1961 (hereinafter referred as 'the Act'):

1. That I/We am/are authorized to make this declaration in the capacity as Individual / Proprietor/ Partner/ Director.
2. I/We hereby declare and confirm that I/We do not fall under the definition of 'specified person' as provided in section 206AB of the IT Act.
3. I/We have duly filed return of income for FY ------ & FY ------- within due date as per Section 139(1) of the Income-tax Act, 1961 – Yes / No (Strike out whichever is not applicable).
4. IF return has been filed the details are as follows:

I/We, _____ having PAN_____, hereby confirm that the provision of Section 206 AB is not applicable in my/our case as I/We am/are regular in filling of Income Tax Return. The details (along with proof of documents) of acknowledgement numbers and date of filling of Income Tax Return for last two financial years are furnished below:

S. No.	Financial Year / (Assessment Year)	Date of Filing Income Tax Return	ITR Acknowledgement Number
1	---------- / (----------)		
2	---------- / (----------)		

5. I/We hereby take responsibility for any loss/liability fully including any Tax, interest, penalty, etc. that may arise due to incorrect reporting of above information.

All the aforesaid representations are true and correct, and we/I agree to furnish any evidence required at any time in support thereof.

On behalf of _____
<< Name of the authorised signatory>>

<< Designation>>
Name of the Entity:

Seal :

Date :

अनुलग्न क –III

Undertaking for t*he provisions of* Public Procurement (Preference to Make in India), Order-2017, Order No. "P-45021/2/2017-B.E. –II, Revision, dated 20/09/2020 and as amended from time to time.

NIT No. : ----------

NAME OF WORK: ----------

In reference to above mentioned Tender reference, I/we M/s……. (Supplier Name) hereby certify that the products/ Services offered ---------- (Name of the Work) meet the requirement of the minimum local content as prescribed for "Class -1 Local Supplier" as mentioned in DPIIT order of Public Procurement (Preference to Make in India), Order-2017, Order No. "P-45021/2/2017-B.E. –II, Revision, dated 16/09/2020 and as amended from time to time.

We hereby confirm that the Local content for above mentioned work is……. % of total value of Work order.

Seal and Signature of Authorised Signatory.

Note: In case Procurement cost exceeds Rs. 10 Crore, this Percentage of Local content shall be certified statutory auditor/ cost auditor of company/ practicing cost accountant /practicing chartered accountant as defined in the above order.